बिहार सरकार
कृषि विभाग
आदेश

संचिका संख्या–2 (गो०)सी० 12–03/11 (पार्ट)– कृ०/पटना, दिनांक 2017

मो० दाउद (बिहार कृषि सेवा कोटि–7, वर्ग–2) तत्कालीन अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी–सह–जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा एवं जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध बिहार राज्य बागवानी मिशन अंतर्गत जिला उद्यान कार्यालय, शेखपुरा में लाभुकों के चयन में स्वेच्छाचारिता, संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान की स्वीकृति, वितरण एवं भुगतान में घोर वित्तीय अनियमितता बरतने, योजनाओं में दिए गये निदेशों का उल्लंघन करने आदि का आरोप जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदित आरोपों तथा निदेशक उद्यान, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–135 दिनांक–04.04.2012 द्वारा मो० दाउद को निलंबित किया गया एवं संकल्प संख्या–166 दिनांक–16.04.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

मो० दाउद के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में एक आरोप को प्रमाणित एवं दो आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। मो० दाउद से विभागीय पत्रांक–609 दिनांक–20.12.2012 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

मो० दाउद, तत्कालीन अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी–सह–जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा को विभागीय अधिसूचना संख्या–119 दिनांक–16.04.2013 द्वारा इस आदेश के साथ निलंबन से मुक्त किया गया कि उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी एवं निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में विभागीय कार्यवाही के अंतिम निष्पादन के समय निर्णय लिया जाएगा।

मो० दाउद के दिनांक–31.01.2014 को सेवा निवृति के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश संख्या–106 दिनांक–02.04.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया गया।

समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा मो० दाउद को पेंशन की राशि से 10 प्रतिशत राशि की कटौती एवं निलंबन अवधि का मात्र जीवन निर्वाह–भत्ता देय होने का दण्ड देने का निर्णय लिया गया। पेंशन की राशि से 10 प्रतिशत राशि की कटौती के प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने अभिमत में प्रस्तावित दण्ड को असमानुपातिक कहा गया।

सम्यक् समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत की समीक्षा की गई एवं पूर्व में अधिरोपित दण्ड को यथावत रखते हुए मो० दाउद, तत्कालीन अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी–सह–जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सेवा निवृत को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत पेंशन की राशि से 10 प्रतिशत राशि की कटौती एवं निलंबन अवधि में सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देये होने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार मो० दाउद, तत्कालीन अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी–सह–जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सेवा निवृत को पेंशन की राशि से 10 प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है, साथ ही निलंबन अवधि में सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह० / –

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक / कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / उप सचिव, वित्त (वै०दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक / कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस (दो प्रतियों में) को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह० / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक / कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– मो० दाउद तत्कालीन अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी–सह–जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सेवा निवृत पत्राचार का पता– मो० दाउद, ग्राम–फतेहपुर, पो०–फतेहपुर सबौर, थाना–जीरोमाईल, जिला–भागलपुर, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक / कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के उनके पत्रांक–1276 / गो० दिनांक–12.09.2011 / निदेशक उद्यान को उनके पत्र संख्या–337 दिनांक–06.03.2012 / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–2964 दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ विशेष सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव (स्थापना) /प्रशाखा पदाधिकारी–01 कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री कृषि, के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 227 /कृ0, पटना, दिनांक 13/04/2017

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.4.17

सरकार के अवर सचिव

12.04.17

D:\Prakash se-2\Adesh.Adhisuchna.sankalp 2017.docx